



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1628/अका./सम्बद्धता/2021

रायपुर, दिनांक : 23/03/2021

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक दिनांक 09.03.2021 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.03.2021 के अनुमोदनानुसार, श्यामबालाजी महाविद्यालय, जिला-महासमुंद (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2020-21 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	बी.ए. प्रथमवर्ष (हिंदी साहित्य, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र) नवीन विषय	60 सीट	2020-21
2	पी.जी.डिप्लोमा इन योगा साइंस (नवीन विषय)	20 सीट	

शर्त :-

- महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 17-83/2020/38-2 दिनांक 27.08.2020 द्वारा नवीन पाठ्यक्रमों की अनुमति प्रदान की गई है। शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
 - प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
 - शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
 - इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की मूलप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
 - समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
 - निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।
 - जॉब प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
 - शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
 - परिनियम-27 एवं 28 का पालन करें।
- उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

23.3.21

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

रायपुर, दिनांक 23/03/2021

पृ. क्रमांक 1629/अका./सम्बद्धता/2021
प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

कक्ष अधिकारी (अका.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

[प्रतिवेदन में अनुशासन की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।]

1. स्नातक स्तर (बी०ए० भाग I) हेतु हिन्दी भाषा, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र सहित शोग की पुस्तकें इस महाविद्यालय में नहीं हैं। इसकी 20-20 प्रतियाँ खरीदी जाए।
2. योगा अभ्यासों के लिए 20 नैपि लोटा एवं हरी खरीदी जाए। विद्यार्थियों के लिए 20 योगायोग योगा table भी खरीदी जाए।
3. भाषा, साहित्य, समाजशा०, राजनीति शा०, योगायोग P.G.C. के मापदण्डों के अनुसार सहायक पाठ्यपुस्तकों की मित्युक्ति की जाए। इस हेतु वर्तमान में संख्यापत्रों के अनुसार सहायक पाठ्यपुस्तकों की मित्युक्ति की जाए। इस हेतु वर्तमान में संख्यापत्रों के अनुसार सहायक पाठ्यपुस्तकों की मित्युक्ति की जाए।
4. इस महाविद्यालय के इसी भवन में वर्ष 2014-15 से बी०ए० की कक्षाएं, वर्ष 2018 से PGDCA, DCA एवं वर्ष 1991 से K.G.-I से 12th तक की कक्षाएं क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं भूतल पर संचालित होती हैं।
5. व्यवस्थापन हेतु कक्षों, बैलकनों, बैंच आदि पर्याप्त संख्या में हैं।

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रो० (डॉ०) भगवंत सिंह (तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन शास्त्र, व्यवस्थापन शा०-प० रं० शु० वि० रायपुर (छ०ग०))

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम-पता

1. डॉ० निरंजन कुमार, समाजशास्त्र-अ० शा०, प० रं० शु० वि० रायपुर (छ०ग०)

2. प्रो० (डॉ०) अनुसुया शर्मा, डॉ० लिट० शा० म० व० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दासमुंद

विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पता

दिनांक 11/02/2021

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

===